[illegible] हुई उभय पक्ष उप. प्रकरण मे वकील वादी जिरह हेतु गवाह पेश करने का अवसर चाहते है। अवसर अन्तिम दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह वादी मे दि. 27.12.21 को पेश हो।

27.12.21 पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य स्थगन किया गया है । अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3.2.22 को पेश की जावे

3-2-22 पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य स्थगन किया गया है । अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14-3-22 को पेश की जावे

14-3-22 पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य स्थगन किया गया है । अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27-4-22 को पेश की जावे

27-4-22 पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य S.D.O. सा. R.O. मीटिंग मे पधारे है। स्थगन किया गया है । अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6-6-22 को पेश की जावे

6-6-22 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित नही प्रकरण मे वकील वादी/वकील प्रतिवादी को न्यायालय मे तीन अवाजें लगाई गई किन्तु न्यायालय मे उपस्थित नही हुए। प्रकरण मे वकील वादी को पूर्व मे जिरह हेतु गवाह पेश करने के कई अवसर दिये जा चुके है। किन्तु जिरह वादी पेश नही की है। प्रकरण मे आज प्रार्थी शम्भु लाल ने एक प्रा.पत्र पेश किया जिसमे निवेदन किया है। वादी घीसालाल पिता रूघनाथ कुम्हार को सांस की तकलीफ ज्यादा होने से चलने फिरने की स्थिती मे नही इस लिए न्यायालय मे उपस्थित नही आये इस लिए मे उसका पुत्र शम्भू लाल आज उपस्थित आया हूँ

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहका जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा-पत्र का अवलोकन हमारे द्वारा किया जाने के पश्चात प्रस्तुत प्रा-पत्र मे कहीं वादी घीसा लाल के हस्ताक्षर नही है। और नाही अ-नि. भी नही है। प्रस्तुत प्रा-पत्र के साथ स्वस्थ विभाग का कोई प्रमाण पत्र भी सलग्न नही है। और नाही ऐसा कोई दस्तावेज भी सलग्न नही है। कि शम्भू लाल वादी घीसा लाल का पुत्र है। और वाद पत्र मे भी शम्भू लाल का नाम नही है। अतः प्रार्थी शम्भू लाल के द्वारा प्रस्तुत प्रा-पत्र के साथ वादी घीसा लाल का अस्वस्थता का मेडीकल प्रमाण पत्र सलग्न नही होने से प्रा-पत्र खारिज किया जाता है। एंव जिरह वादी बन्द की जाती है। पत्रावली मे उभय पक्ष के उपस्थित नही होने से दावा अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कि जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)	